



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 162-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021 (ASVINA 9, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2021

संख्या 53/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 111/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 111/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में, तालिका में, -

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में खाद्य निर्मितियां; (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) या समरूप स्कीम के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स) प्रदाय";

- (ii) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (4) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि में, क्रमशः "खाद्य निर्मितियों" और "खाद्य निर्मितियाँ" शब्दों के स्थान पर, "माल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2021

No. 53/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.111/ST-2, dated the 18th October, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.111/ST-2, dated the 18th October, 2017, in the Table,-

- (i) against serial number 1, under column (3), for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-

“(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government; (b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government;
 - (ii) against serial number 1, under column (4), in the existing entry, in the entry, for the words “food preparations”, occurring twice, the word “goods” shall be substituted.
2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.